Board of Revenue For Rajasthan Ajmer
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

**न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर**

**अपील/डिक्री/टी.ए./3852/2005/अलवर**
**अपील/डिक्री/टी.ए./3853/2005/अलवर**

मातादीन पुत्र कजोड जाति कुम्हार निवासी ग्राम तिलवाड तहसील राजगढ जिला अलवर

**अपीलान्ट**

**बनाम**

1. जयराम पुत्र प्रभु जाति मीणा निवासी ग्राम तिलवाड तहसील राजगढ
2. लक्षमण पुत्र प्रभु जाति मीणा निवासी ग्राम तिलवाड तहसील राजगढ
3. श्रीमती फूली बेबा नारायण सहाय जाति मीणा निवासी ग्राम तिलवाड तहसील राजगढ
4. कालूराम पुत्र नारायण सहाय नाबालिग सरपरस्ती फूली माता खुद जाति मीणा निवासी ग्राम तिलवाड तहसील राजगढ
5. मुकेश पुत्र नारायण सहाय जाति मीणा निवासी ग्राम तिलवाड तहसील राजगढ
6. भोरी बेबा प्रभु जाति मीणा निवासी ग्राम तिलवाड तहसील राजगढ
7. सोमोती पुत्र प्रभु जाति मीणा निवासी ग्राम तिलवाड तहसील राजगढ
8. भेाती पुत्री प्रभु जाति मीणा पत्नी अरजीराम साकिन बसवा जिला दौसा
9. बूली पुत्री प्रभु जाति मीणा पत्नी रामकिशन ग्राम थली तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजगढ

**रेस्पोडेन्ट्स**

**खण्ड पीठ**
**श्री मोहन लाल नेहरा सदस्य**
**श्री धूकलराम कसवां सदस्य**

**उपस्थित**
श्री अयूब खां अभिभाषक अपीलार्थी
श्री रमजान मोहम्मद अभिभाषक प्रत्यर्थी

**<u>निर्णय</u>**

**दिनांकः**

1. यह दोनों अपीलें राजस्व अपील प्राधिकारी अलवर के निर्णय व डिक्री दिनांक 27–4–05 के विरूद्ध राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955(संक्षेप में अधिनियम) की धारा 224 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई हैं।

2. दोनें अपीलों में पक्षकार समान हैं, विवादित आराजी समान है, निर्णायक विधिक बिन्दु भी समान है तथा दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा दोनों वादों को एकीकृत कर दोनों का निर्णय एक साथ किया है। इसलिये दोनें अपीलों में एक साथ बहस सुनी जाकर दोनों अपीलों का निस्तारण एक निर्णय से किया जाता है। निर्णय की एक एक प्रति प्रत्येक पत्रावली में संलग्न की जावे।

3. दोनें अपीलों के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि विचारण न्यायालय के समक्ष एक वाद दखलयाबी का अपीलार्थी मातादीन द्वारा इस आशय का पेश किया कि आराजी खसरा नम्बर 182 रकबा 2बीघा 13 विस्वा वाके ग्राम तिलवाड तहसील राजगढ का खातेदार प्रतिवादी संख्या 1 प्रभु व वादी के दादा का आधा आधा हिस्सा था। बिरदा के एक जायज लडका कजोड था जिसका स्वर्गवास विरदा की मौजूदगी में हो गया और बिरदा के मरने के बाद उसका विरासत का इन्तकाल वादी के नाम हो गया। इस प्रकार वादी व प्रतिवादी आधे आधे हिस्से के खातेदार काश्तकार हैं। परन्तु वादी के कमजोर व गरीब होने के कारण वर्ष 1986 में प्रतिवादी ने जबरन कब्जा कर लिया। इसलिये वादग्रस्त आराजी के 1/2 हिस्से का उसको कब्जा दिलाया जावे।

4. इसी आराजी के सम्बन्ध में एक अन्य वाद खातेदारी घोषणा का प्रतिवादी प्रभु द्वारा वादी के विरूद्ध दायर किया। विचारण न्यायालय ने उक्त दोनों वादों को इकजाई कर निर्णय दिनांक 20–4–01 के द्वारा वादी मातादीन का वाद बाबत दखलयाबी खारिज कर दिया। और प्रतिवादी प्रभु का घोषणा खातेदारी का वाद डिक्री कर उसे वादग्रस्त आराजी का खातेदार काश्तकारी घोषित किया। इससे व्यथित होकर अपीलार्थी ने दो अलग अलग अपीलें राजस्व अपील प्राधिकारी अलवर के न्यायालय में प्रस्तुत की जिन्होंने अपने निर्णय दिनांक 27–4–05 से

दोनों अपीलें खारिज कर दी। इससे व्यथित होकर यह दोनें अपीलें अपीलार्थी ने मण्डल के समक्ष पेश की हैं।

5. सर्वप्रथम अपीलार्थी की ओर से आवेदन पत्र अन्तर्गत आदेश 41नियम 27जाब्ता दीवानी के साथ प्रस्तुत दस्तावेज को रेकार्ड पर लेने बाबत सुनी गई। उक्त दस्तावेज की नकल वर्ष 1986 में अपीलार्थी द्वारा प्राप्त की गई है। इतने लम्बे अन्तराल बाद द्वितीय अपील के स्तर पर प्रस्तुत करने का कोई युक्तियुक्त एवं उचित कारण अपीलार्थी द्वारा नहीं बताया गया है। उक्त दस्तावेज न तो विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया और नहीं प्रथम अपीलीय न्यायालय के स्तर पर प्रस्तुत किया गया है। द्वितीय अपील के स्तर पर इस दस्तावेज को रेकार्ड पर लेने का कोई औचित्य नहीं होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 जाब्ता दीवानी खारिज किया जाता है।

6. उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस अपील पर सुनी गई।

7. अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील मीमो में अंकित तथ्यों को बहस के दौरान दोहराते हुये तर्क प्रस्तुत किया कि विवादित भूमि पर्चा चकबन्दी भू प्रबन्ध विभाग सन 1925 के साबिक आराजी खसरा नम्बर 182 रकबा 2बीघा 8 विस्वा हजारी वल्द भूरा कौम दरौगा एवं वरदा वल्द सुआ कौम कुम्हार साकिन देह हिस्सा बराबर दर्ज है। उक्त पर्चा चकबन्दी में दिनांक 29-4-1925 में हजारी वल्द भूरा कौम दरोगा द्वारा अपना अंगूठा निशानी इस इबारत पर किया हुआ है कि पर्चा समझ लिया सही है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी के दादा बरदा सन् 1925 से पूर्व से ही हजारी वल्द भूरा कौम दरोगा के साथ निस्फ हिस्से के खातेदार काश्तकार होकर कब्जे काश्त में चले आ रहे हैं। अपीलार्थी वादी मातादीन द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष जमाबन्दी सम्बत 2009से 2037 प्रस्तुत की गई तथा खसरा ग्रिरदावरी सम्बत 2014 से 2037 प्रस्तुत की गई। जिनसे यह भली भांति साबित था कि वादी से पूर्व उसके दादा बरदा एवं दादा की मृत्यु के बाद अपीलार्थी निस्फ हिस्से पर खातेदार काश्तकार दर्ज हे तथा निस्फ हिस्से पर हजारी वल्द भूरा कौम दरौगा दर्ज रेकार्ड है। प्रत्यर्थी का यह कथन करना कि खातेदार हजारी वल्द भूरा द्वारा उसके पक्ष में एक दस्तावेजी तहरीर की गई थी जिसमें निस्फ हिस्से की आराजी देना तय

कर दिया था। उक्त दस्तावेजी साक्ष्य को नजर अन्दाज कर अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत वाद को खारिज करने में विधिक भूल की है। अतः दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय निरस्त किये जाकर अपीलार्थी का वाद डिक्री किया जाकर प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत वाद खारिज किया जावे। अपने कथन के समर्थन में आर आर डी 1990 पेज 277,479, आर आर डी 1988 पेज 462, आर आर डी 1997पेज 429, आर आर डी 2000 पेज 95, आर आर डी 2002 पेज 67, आर आर डी 1992पेज 598 की नजीरें पेश की।

8. प्रत्यर्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष बताते हुये अपील खारिज करने का निवेदन किया और तर्क प्रस्तुत किया कि विवादित आराजी पर सम्बत 2009 से वह लगातार काबिज हैं। विवादित आराजी हजारा पुत्र भूरा के कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि थी। जिस पर अपीलार्थी के दादा बिरदा, उसके पिता व स्वयं अपीलार्थी का कभी कब्जा काश्त नहीं रहा। अपीलार्थी ने दौराने बन्दोबस्त अपने नाम निस्फ हिस्से की प्रविष्टि करा ली। जबकि भू प्रबन्ध विभाग को रेकार्ड में परिवर्तन करने का अधिकार नहीं है। विवादित आराजी पर अपीलार्थी का कभी कब्जा काश्त नहीं रहा इसलिये प्रतिकूल कब्जे के आधार पर उन्हें खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये। इसलिये विचारण न्यायालय ने उनका वाद डिक्री करने में कोई विधिक भूल नहीं की है और प्रथम अपीलीय न्यायालय ने विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की सही रूप से पुष्टि की है।

9. हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

10. विचारण न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि जमाबन्दी सम्बत 2025 के अनुसार खसरा नम्बर 182 रकबा 2 बीघा 13विस्वा के सम्बन्ध में अंकित इन्द्राज के अनुसार हजारा वगैरा रहन मुतरबा खाता संख्या 158 खातेदार हजारा मार्फत प्रभु पुत्र झूथा मीणा साकिन तिलवाडी शिकमी आठ साल दर्ज है। इससे यह स्पष्ट होता है कि प्रभु उक्त आराजी को सम्बत 2025 में आठ साल से काबिज होकर काश्त करता रहा है। इसी प्रकार का इन्द्राज जमाबन्दी सम्बत 2029 में अंकित है। भू प्रबन्ध की जमाबन्दी सम्बत 2014 में खसरा नम्बर 182 के

सम्बन्ध में हजारी वल्द भूरा कौम दरोगा व वरदा पुत्र भूरा कौम कुम्हार साकिन देह बराबर इन्द्राज किया है। भू प्रबन्ध के दौरान यह इन्द्राज किस आधार पर किया गया यह स्पष्ट नहीं है। भू प्रबन्ध विभाग को साबिक रेकार्ड के अनुसार ही वर्तमान रेकार्ड में इन्द्राज करने के अधिकार हैं। वादी प्रभु ने अपने वाद में यह कथन किया है कि यह आराजी पहले हजारा की थी और उसने सरकारी लगान पर उसे काश्त के लिये बताई थी जिसकी पुष्टि जमाबन्दी सम्बत 2025 में अंकित शिकमी साल आठ से होती है। पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड से इस तथ्य की पुष्टि होती है कि यह आराजी पूर्व में हजारा के खातेदारी की थी और प्रभु उस पर काश्त करता था। विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने जो न्यायिक दृष्टान्त हमारे समक्ष पेश किये हैं उनमें यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि लम्बे कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं होते है। हम विद्वान अभिभाषक के इस तर्क से पूर्णतया सहमत हैं। लेकिन वादग्रस्त आराजी पर अपीलार्थी वादी का शुरू से वाद दायर करने तक कभी कब्जा रहा हो इस तथ्य को अपीलार्थी द्वारा दस्तावेजी अथवा मौखिक साक्ष्य से सिद्ध नहीं कराया है। मौखिक साक्ष्य से भी विवादग्रस्त आराजी पर शुरू से प्रत्यर्थी के कब्जे काश्त की पुष्टि होती है। प्रत्यर्थी द्वारा वादग्रस्त आराजी पर जबरन कब्जा किया गया हो इस तथ्य को प्रमाणित करने में भी अपीलार्थी असफल रहे हैं। अपीलार्थी वादी अपना टाइटल ही सिद्ध नहीं कर पाया है और न ही कब्जा सिद्ध कर पाया है। इसलिये दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी तथा मौखिक साक्ष्य का विवेचन कर जो निष्कर्ष निकाला है वह विधिसम्मत तथा तथ्यों के अनुकूल हैं जिनमें हम द्वितीय अपील के स्तर पर किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

11. उपरोक्त तथ्यात्मक एवं विधिक स्थिति को ध्यान में रखते हुये अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दोनों अपीलें सारहीन होने से खारिज की जाती हैं।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(धूकलराम कसवां)
सदस्य

(मोहन लाल नेहरा)
सदस्य